

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सर्वश्री उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति द्वारा समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईट भट्टों के लिए आयात घोषणा पत्र (फार्म-31) जारी किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1(4)-प्रवर्तन जमानत (2004-2005)/ 647/ व्यापार कर दिनांक 22-6-2005 की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुये यह अनुग्रेध किया गया है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत ईटों की बिक्री पर व्यापार कर की दर 10 प्रतिशत के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य सम्बर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत मूल्य सम्बर्धित कर अतिरिक्त कर सहित 5 प्रतिशत हो जाने के कारण उक्त परिपत्र दिनांक 22-6-2005 को संशोधित किया जाये।

2- उक्त संदर्भ में समिति के पत्र पर सम्यक् रूप से विचार किया गया। मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1(4)-प्रवर्तन जमानत (2004-2005)/ 647/ व्यापार कर दिनांक 22-6-2005 के अनुसार ईटों पर देय व्यापार कर की दर 10 प्रतिशत होने के कारण फार्म-31 निर्गत करने हेतु की जाने वाली गणना के उद्देश्य से समाधान राशि का 10 गुना करते हुये विक्रय मूल्य का अनुमान करने का निर्देश था। वर्तमान में ईट पर मूल्य सम्बर्धित कर की दर 5 प्रतिशत है, ऐसी स्थिति में विक्रय मूल्य के अनुमान हेतु गणना के आधार में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उक्त परिपत्र में सहायता केन्द्रों पर की जाने वाली घोषणा एवं जमा जमानत के संदर्भ में भी निर्देश दिये गये थे, जबकि वर्तमान में सहायता केन्द्र अस्तित्व में नहीं है। अतः परिपत्र दिनांक 22-6-2005 में संशोधन अपरिहार्य है।

3- अतः मुख्यालय के उक्त परिपत्र दिनांक 22-6-2005 को अतिक्रमित करते हुये ईट भट्टा समाधान योजना के अन्तर्गत समाधान योजना का विकल्प देने वाले ईट भट्टा व्यवसाइयों को प्रान्त बाहर से कोयला के आयात हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य सम्बर्धित कर नियमावली, 2008 के अन्तर्गत प्राविधानित फार्म-38 (आयात घोषणा पत्र) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये जाने के सम्बन्ध में एतद्वारा निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:-

- (1) कुल देय वार्षिक समाधान राशि के 20 गुना के बराबर कुल विक्रय धन का अनुमान करते हुये ईटों की औसत बिक्री दर से भाग देने पर जो संख्या आयेगी, वह ईटों की उत्पादित संख्या होगी और प्रति एक लाख ईट के उत्पादन में प्रयुक्त लगभग 18 टन कोयला की खपत मानते हुये कोयला की वार्षिक खपत का वजन ज्ञात किया जा सकता है जिसमें प्रति ट्रक अनुमानित वजन से भाग देने पर पूर्णक में निर्गत किये जाने वाले फार्म-38 की संख्या होगी।
- (2) जिन भट्टों में कोयला के अलावा लकड़ी अथवा अन्य ईंधन प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता हो, ऐसे भट्टों में युक्तियुक्त तथ्यों के आधार पर उपर्युक्त उप-प्रस्तर (1) के अनुसार की गयी गणना से कम मात्रा में फार्म-38 जारी किये जाने के आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित करते हुये तदनुसार फार्म-38 निर्गत किये जायेंगे।

(3) फार्म-38 में घोषित से अधिक मात्रा का कोयला किसी प्रकार से आयात करते हुये पाये जाने पर यदि जमानत जमा करायी गयी हो, तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा और यदि अर्थदण्ड आगोपणीय न हो, तो तदनुसार जमानत के रूप में जमा धनराशि अन्य बकायों अथवा देय समाधान राशि की किश्तों में नियमानुसार समायोजित की जायेगी। यदि किसी कारण से किसी भट्ठा समाधान सीजन वर्ष के लिए मूल्य सम्बर्धित कर का बकाया किसी प्रकार सुजित होता है तो केवल इसी कारण से समाधान योजना के लाभ से व्यापारी को वंचित नहीं किया जायेगा यदि समाधान योजना के लिए नियत समयावधि के अन्तर्गत देय ब्याज सहित सम्पूर्ण बकाया कर भट्ठा व्यवसायी द्वारा जमा कर दिया जाता है।

4- समाधान योजना से बाहर रहने वाले ईट भट्ठा व्यवसाईयों के द्वारा कर-अवधि के लिए दाखिल रिटर्न में घोषित विक्रय धन के आधार पर उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित रीति से निर्गत किये जाने वाले फार्म-38 की संख्या ज्ञात हो जायेगी।

5- वर्ष के अन्त में करनिर्धारण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुमन्य वजन का ही कोयला व्यापारी द्वारा आयात किया गया है और ऐसे आयातित कोयला का उपयोग केवल ईट के निर्माण में ही किया गया है। प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड/करागोपण की कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुये इसकी पर्याप्त प्रतियां कराकर व्यापारिक / अधिवक्ता संघों को उपलब्ध करायें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0एन0 राव)
एडीशनल कमिशनर(विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

प्र०प०स०एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निमत्तिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, ३०प्र०
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, ३०प्र०।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, ३०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिटेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा० / स०द०) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द प०जी०आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जौन,सेक्टर 10नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी ०कमि०/असि०कमि०(०न्या०कार्य)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः ५- ५ तथा १०प्रतियॉ में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को ५० प्रतियॉ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (22) अध्यक्ष, ३०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो० ७, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक,उद्योग बस्यु, सी १५ माल एवेन्यू लखनऊ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, ३०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,८७/३४९ आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, ३०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, ६६,शास्त्री नगर,लखनऊ।
- (26) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , २९बी विधायक निवास दारुलसाफा लखनऊ।
- (27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,१४/२६ सिविल लाइन्स कानपुर।
- (28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० २/३०२ विकास खण्ड ४/१८० गोमती नगर लखनऊ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० १ ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० ब्रारा ब्राइट बेबी साश्किल इण्ड० ऐशबाग रोड,लखनऊ।
- (31) आल इन्डिया मैन्यूफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-४ साइट संच्या ३ मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर,लखनऊ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /साभागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य) के माध्यम से।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय १०इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,गयबरेली।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि ३०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार,एस०एस०कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीय एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ३०प्र० शासन २६/१०३ बिरहना रोड कानपुर।
- (37) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस।
- (38) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़,१५ टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (39) डा० छेदी लाल साथी, ए-५/१५७९ इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (40) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० ४५ चन्द्रका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -२४/ १कुंजगली,चौक,वाराणसी।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, ७०७,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु०नगर।
- (43) श्री पी०एस०जैन, १३८ ए ब्लाक ए सेक्टर २७ नोयडा।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ०प्र०ट्रक आपरेटर्स,फेडरेशन (रजि०),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (45) आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी,इलाहाबाद।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी ६०चाहचन्द इलाहाबाद।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल ३०प्र० प्रदेश ,१९ सुरेशबाग, कानपुर।
- (48) इन्डियन इण्ड०एसो०, १५९/ए -४, १५ प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु०नगर।
- (49) संयोजक,टैक्सेशन एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०५२, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (50) टैक्सेशन बार एसेसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रीयल डिवीजन को०प० स्टेट लि० ५१-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० ३-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
- (53) श्री दिनेश अरोरा ३०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० ५१/५८-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष ३०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० ५६५/५६६ राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (55) श्री हुलास राय सिंगल, प्रदेश अध्यक्ष,एक-३,पार्क रोड,लखनऊ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल,(पैजी०-बी-२९,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , २७ ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (59) श्री दिनेश चन्द मिल, उपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए,३० बी०एन०रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसेसिएशन, विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ।
- (61) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।

- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीबाद नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उप्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, ३०प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- १५/५ राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर०डी०सी०-५१, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, य००पी०ऐट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, १ यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, २४४/६५, यहियांज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-१९४, सेक्टर-१०, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (य००पी०)

(बी०एन० द्विवेदी)
ज्वाइंट कमिशनर (विधि), वाणिज्य कर, मु० ।